



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222338
CG-DL-E-09102020-222338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3121]
No. 3121]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3514(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन नियुक्ति नियम, 2014 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 3 अगस्त, 2018 में का.आ. सं. 3826(अ), तारीख 1 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग) की अधिसूचना को, उन बातों के सिवाए, विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था।

2. यह अधिसूचना, इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 17014/13/2014-आईएस-VII]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Internal Security-I Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2020

S.O. 3514(E).—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Chief Commissioner Gurdwara Elections Appointment Rules, 2014, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs, (Internal Security-I Division), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd August, 2018 *vide*, number S.O 3826(E), dated the 1st August, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 17014/13/2014-IS-VII]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.